न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार, (RAS)

राजस्व अपील संख्या :– 12/2020

अपीलाट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
01.श्रीमती मागू कवर पत्नि श्री बहादुर सिह सोढा जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 36 ए मोहन नगर बी,जे,एस कॉलोनी जोधपुर		01.रामाराम पुत्र श्री पूनाराम के कायम मुकाम 1/1.नरपतराम पुत्र रामाराम 1/2.प्रकाश पुत्र रामाराम 1/3.श्रीमती सुगना देवी पत्नी श्री रामाराम 02.चैनाराम पुत्र श्री पुनाराम जाति पटेल निवासीयान सरदारगढ तहसील लूणी 03.ग्राम पचायत सरेचा प,स,लूणी जरिये सरपच 04.भूमि धारी सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 77 जो सरपच ग्राम पंचायत सरेचा मे दिनाक 20.06.2019 को स्वीकृत किया।

उपस्थित अधिवक्ता।

01.प्रार्थीनी की ओर से अधिवक्ता अनोपसिह सोलकी उपस्थित।

02.अप्रार्थी सख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता हनूमान प्रजापत उपस्थित।

निर्णय

दिनाकः 07/09/2022

प्रार्थिया की अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 235/3 रकबा 13–13–10 बीघा किस्म बा. ।। मौजा सरदारगढ पं. सं. सरेचा में स्थित है खातेदार रामाराम चैनाराम पुत्र श्री पूनाराम जाति पटेल का सह खातेदार कब्जा –काश्त है। खातेदार रामाराम चैनाराम ने अपने संयुक्त खातेदारी की भूमि में से 2 बीघा का बेचान अपीलान्ट को दिनांक 09.04.2015 को विक्रय पत्र का पंजीयन करा दिया और उसी दिन मौके पर 2 बीघा भूमि का कब्जा अपीलान्ट को सुर्पुद कर दिया गया। तत्पश्चात रामाराम का दिनांक 08.05.2018 को देहान्त हो गया। रामाराम के वारिसों को बेचान की भलीभांती जानकारी पहले से ही थी इसके बावजूद भी इनके वारिसों ने पूरी भूमि का नामान्तरण स्वीकार करवा लिया जो विधि विरूद्ध है क्योंकि नामान्तरकरण 2 बीघा भूमि कम कर उसके अनुसार स्वीकृत किया जाना चाहिये था जो नही किया बल्कि पुरे खाते का ही इन्द्राज कर लिया। इसके क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत कर ग्राम सरदारगढ का नामान्तरण संख्या 77 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अपील अपीलान्ट दर्ज कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 व 2 स्वयं दिनांक 12.03.2021 को उपस्थित हुये, शेष रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपील में जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। अपीलान्ट को दिनांक 19.08.2020 को नकले प्राप्त करने पर सर्वप्रथम नामान्तरकरण संख्या 77 की जानकारी हुई । अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तरकरण

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

की कोई किसी प्रकार की जानकारी नही थी। उक्त जानकारी के आधार पर अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

इस प्रकार जानकारी के अनुसार अपील समय अवधि में पेश है अपील में सारभूत बिन्दू निहित होने पर अपील को परिसीमा विधि लागू नही होती है। अपील में दम हो तो विलम्ब के बिन्दू को नही देखा जाता है मेरिट पर तय किया जाता है। विलम्ब को माफ किया जा सकता है । इस प्रकार से अपील को अन्दर ही अन्दर म्याद माना गया। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

हमने अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। दौराने बहस के प्रस्तुत तर्को एवं कानूनी उद्धरणों का अध्ययन कर विचार किया कि अपीलान्ट की अपील को अन्दर म्याद शुमार किया गया। नामान्तरकरण संख्या 77 ग्राम सरदारगढ खातेदार रामाराम के फौत होने पर इनके विधि वारिसान के नाम अमलदरामद हुआ जिसकी वंशावली नामान्तरकरण के पुश्त पर अंकित है। उक्त नामान्तरकरण में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना प्रतीत नही होता है तथा न ही उक्त नामान्तरकरण में उपरोक्त पूर्व में पंजीबद्ध दस्तावेजों के संबंध में कोई उल्लेख/आपत्ति नहीं है।

साथ ही न्यायालय द्वारा तहसीलदार लूणी से मौके एव कब्जे की रिपोर्ट की तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई जो तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमाक :–भू.अ/2022/2493 दिनाक 21.07.2022 द्वारा पेश की गई। जिसमे मौके पर बुआई की गई है परन्तु अपीलांट का कब्जा नही होना दर्शाया है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड मे भी अपीलांट का नाम दर्ज नही है तथा मौके पर भी कब्जा नही है। इन तमाम परिस्थितियॉ मे अपीलॉट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः नामान्तरकरण सख्या 77 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)